

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-14)

क्रमांक प0 2(11)ग्रावि/SECC/14/2011

जयपुर, दिनांक 18.10.2011

अधिसूचना

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना वर्ष-2011 कराए जाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के अ.शा. पत्र क्रमांक-Q.16015/04/2011 AF (RD) दिनांक 24.06.2011 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार के वित्तिय एवं तकनीकी सहयोग से करया जावेगा। भारत सरकार के निर्देशों की पालना में राज्य द्वारा नियुक्त प्रगणक अपने आंवटित स्थानीय क्षेत्र की सीमा में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 हेतु सूचनाएं एकत्र करने के उद्देश्य से क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्तियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं:-

ग्रामीण:

प्रत्येक परिवार के लिए:

भाग-1

आवासीय/निवासीय

(1) रहने वाले कमरे (कमरों) की दीवारों में लगी मुख्य सामग्री (कोड लिखें)

कोड

कोलम. 1. रहने वाले कमरे की दीवारों में लगी मुख्य सामग्री
1-घास/फूस/बांस आदि
2-प्लास्टिक/पॉलीथीन
3-मिट्टी/ कच्ची ईंट
4-लकड़ी
5-पत्थर रहित मोटार
6-पत्थर युक्त मार्टार
7-जी.आई/मैटल/एस्बेस्टॉस सीट
8-पक्की ईंट
9-कन्क्रीट
0-कोई अन्य

(2) रहने वाले कमरे (कमरों) की छत में लगी मुख्य सामग्री (कोड लिखें)

कोलम 2 रहने वाले कमरों की छत में लगी मुख्य सामग्री
1-घास/फूस/बांस/लकड़ी/मिट्टी आदि
2-प्लास्टिक/पॉलीथीन
3-हाथ से बनी टाइले
4-मशीन से बनी टाइले
5-पकी ईंटें
6-पत्थर
7-स्लेट
8-जी. आई / मैटल / एस्बेस्टास सीट
9-कन्क्रीट
0-अन्य कोई

(3) इस घर की मालिकाना स्थिति (कोड दे)

1=स्वयं 2=किराए पर 3=अन्य कोई

(4) इस घर में रहने योग्य कमरों की संख्या (रिकार्ड 1, 2, 3.....)

भाग-2

क्या परिवार का कोई सदस्य

(5) आदिम जनजाति समूह से है: 1=हाँ, 2=नहीं

(6) कानूनी रूप से मुक्त कराया गया बंधुवा मजदूर 1=हाँ, 2=नहीं

(7) सिर पर मैला ढोने वाले 1=हाँ, 2=नहीं

भाग-3

रोजगार और आय संबंधी विशेषताएँ

(8) क्या परिवार का कोई सदस्य वेतन युक्त नौकरी करते है। (1=हाँ 2=नहीं)

(9) यदि कॉलम 8 में हां है तो वेतन युक्त नौकरी करते है। (कोड दे)

1=सरकारी, 2=सार्वजनिक क्षेत्र, 3=निजी क्षेत्र

(10) क्या परिवार आय कर या व्यवसाय कर का भुगतान करता है: (1=हाँ 2=नहीं)

(11) सरकार से पंजीकृत उपक्रम के मालिक है (1=हाँ 2=नहीं)

(12) परिवार में सबसे ज्यादा आय वाले व्यक्ति की मासिक आय (कोड दे)

1=पांच हजार से कम, 2=पांच हजार से दस हजार के बीच, 3=दस हजार से अधिक

(13) परिवार की आय का मुख्य स्रोत (कोड दे)

1=कृषि

2= हाथ से अस्थायी श्रम

3=अंशकालिक और पूर्णकालिक घरेलू कार्य

4=चारा खोजना, कूड़ा बीनना

5= गैर कृषि स्वयं का उपक्रम

6=भीख मांगना / धर्मार्थ भीख मांगना

7=अन्य

भाग-4

परिसंपत्तियां

क्या परिवार के पास निम्न आस्तियां हैं (कोड दे)

(14) रेफ्रिजरेटर : (1=हाँ 2=नहीं)

(15) टेलीफोन/मोबाईल फोन:- हाँ: 1=केवल लैंडलाईन, 2=केवल मोबाईल, 3=दोनों 4=नहीं

(16) वाहन दो/तीन/चार पहिया वाले वाहन अथवा फिशिंग नाव जिसके लिए पंजीकरण अपेक्षित है (1=हाँ 2=नहीं)

भाग-5

5 क भूमि स्वामित्व

(17) क्या किसी भूखण्ड के मालिक है (वास भूमि को छोड़कर) (1=हाँ, 2=नहीं)

यदि भूमि रहित हैं तो सीधे 5 ख पर जावें

(18) कुल सिंचाई रहित भूमि (एकड़ में)

(19) दो फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई भूमि (एकड़ में)

(20) अन्य सिंचाई वाली भूमि (एकड़ में)

5 ख अन्य भूमि स्वामित्व

(21) मशीनीकृत दो/तीन/चार पहिया वाले कृषि उपकरण(1=हाँ, 2=नहीं)

- (22) सिंचाई उपकरण (डीज़ल/केरोसिन/इलेक्ट्रॉनिक पंप सैट, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई व्यवस्था इत्यादि आदि)
(1=हाँ, 2=नहीं)
- (23) 50,000 या अधिक की ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड(1=हाँ, 2=नहीं)

प्रत्येक व्यक्ति के लिए:

- (1) क्रम संख्या
- (2) व्यक्ति का नाम
परिवार के मुखिया से शुरु करें (अधिकतम 30 अक्षर जरूरत पड़ें तो संक्षिप्त करें)
- (3) मुखिया से रिश्ता (पूरा रिश्ता दर्ज करें)
- (4) लिंग 1=पुरुष 2=स्त्री
- (5) जन्म तिथि (अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार)
- (6) वैवाहिक स्थिति
1=कभी शादी न हुई हो
2=इस समय शादी शुदा हो
3=विधवा
4=अलग
5=तलाकशुदा
- (7) पिता का नाम
- (8) माता का नाम
- (9) व्यवसाय/किया कलाप
वास्तविक कार्य बताए
- (10) पूरी की गई उच्चतम स्तर पूर्ण की गई शिक्षा शैक्षिक स्तर
1=निरक्षर
2=साक्षर लेकिन प्राथमिक स्तर से कम
3=प्राथमिक
4=मिडिल
5=माध्यमिक
6=उच्चतर माध्यमिक
7=स्नातक या उससे अधिक
8=अन्य (निर्धारित करें)
- (11) निःशक्तता
1=देखने में
2=सुनने में
3=बोलने में
4=चलने में
5=मंदबुद्धि
6=मानसिक रुग्णता
7=अन्य अपंगता
8=विभिन्न अपंगता
9=निःशक्त नहीं
- (12) धर्म (धर्म का पूरा नाम लिखें)
- (13) जाति/जनजाति
कोड दे
अनुसूचित जाति (अ0जा0) -1
अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) -2
अन्य -3
कोई जाति/जनजाति नहीं -4

(अनुसूचित जाति सिर्फ हिन्दुओं, सिक्खों तथा बुद्ध में हो सकती है, तथा अनुसूचित जनजाति किसी धर्म में से हो सकती है।)

- (14) यदि कॉलम 13 में अगर कोड 1, 2 या 3 हो तो जाति/जनजाति का नाम लिखें
कोलम 13 में कोड 4 हो तो X का निशान लगाएं



(सी.एस.राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं नोडल अधिकारी, SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव/सचिव/विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव/संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
7. प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग/शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राज0 जयपुर।(क्रम सं. 6, 7 व 8 के अलावा)
10. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष, राज.।
11. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलेक्टर, राज.।
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को भेज कर लेख है कि अपने जिले के पंचायती राज संस्थाओं के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं विकास अधिकारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
14. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डुगरी, जयपुर।
15. समस्त उपखण्ड अधिकारी/समस्त तहसीलदार राजस्थान।
16. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान असाधारण राजपत्र (extraordinary Gazette) में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।



परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव,
एस.जी.एस.वाई.